न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 55 / 2025	2025 / 207	15.04.2025	14.05.2025

1–अतरसिंह पुत्र गनपत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम हींगवाहेडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 09.02.2025 नामान्तकरण संख्या 335 वाके ग्राम फेजपुर तहसील किशनगढबास खारिज किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

01. श्री अब्दुल खान (कलाम) –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 335 निर्णय दिनांक 09.02.2025 वाके ग्राम फैजपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 हाल 63 / 0.49 है0, 65 / 0.25 है0, 84 / 0.10 है0, किता 3 / 0.84 है0 में से 49 / 450 भाग यानि 0.0914 है0, 48 / 206 रकबा 0.05 है0, 61 / 0.11 है0, 64 / 0.18 है0, 67 / 0.18 है0, 69 / 0.16 है0, किता 5 रकबा 0.55 है0, में से 49 / 450 हिस्सा यानि 0.0598 है0, वाके ग्राम फेजपुर तहसील किशनगढबास स्थित है, आराजी पालोबाई पुत्री दलीपसिंह पत्नि हरचन्द सिंह जाति रायसिख निवासी फेजपुर हाल मुबारिकपुर तहसील रामगढ, मन्नीकौर पुत्री दलीपसिंह पत्नि सोनासिंह जाति रायसिंख निवासी हाल आबाद अलापुर जिला खैरथल–तिजारा, सुन्दरोबाई पुत्री दलीपसिंह पत्नि कश्मीरसिंह जाति रायसिख निवासी फेजापुर हाल आबाद उदैपुर खिजूरीवास तहसील टपूकडा की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी थी, पालोबाई, मन्नीकौर, सुन्दरोबाई ने अपनी आराजी जरिये रजि0 बयनामा मिन अपीलान्ट को बाजाप्ता प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान कर दी जो बयनामा दिनाक 28.11.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 617 में पृष्ठ संख्या 12 कंम संख्या 20240335910102123 पर पंजिबद्व किया गया। बाद खरीद उक्त आराजी पर मिन अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मुताबिक बयनामा अमल राजस्व रिकार्ड में कराने हेतु बयनामा वास्ते दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का बोलनी को दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 335 दिनाक 09.02.2025 दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पेश किया गया जिस पर तहत अदालत ने नामान्तरण को बेंजा रूप से यह लिखते हुऐ कि Mutabik Patwari Report And Decoument Mismatch Name Of Cast So Mutaiton Is Not Acceptable निरस्त / खारिज कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलान्ट की जाति अहीर (यादव) दर्ज कर दिया जो दोनो एक ही जाति है, लेकिन बिला किसी उचित कारण के तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण खारिज किया गया है। तहत अदालत को नामान्तकरण खारिज करने का कोई अधिकार नही था, मात्र जाति व उपजाति के एक साथ पटवारी हल्का द्वारा लिखने के कारण खारिज किया गया है। तहत अदालत के द्वारा निर्णय पारित करने में सही जाप्ता काम में नही लिया गया है। आलोंच्य आदेश विधि विरूद्व एंव तथ्यो के विवरीत पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, दिनाक 21.03.2025 को पटवारी हल्का से असल बयनामा लेने आया तब मालूम चला जिस पर पटवारी हल्का से नकल प्राप्त कर अविलम्ब ही अपील पेश की जा रही है। अपील करने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पृथक से संलग्न

जिला कलक्टर

कर निवेदन है, कि अपीला अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकर कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.02.2025 निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम फैजापुर तहसील किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 09.02.2025 के विरूद्व दिनाक 26.03.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 17 दिन पश्चात पेश की गयी है। अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.02.2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 21.03.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 हाल 63/0.49 है0, 65/0.25 है0, 84/0.10 है0, किता 3/0.84 है0 में से 49/450 भाग यानि 0.0914 है0, 48/206 रकबा 0.05 है0, 61/0.11 है0, 64/0.18 है0, 67/0.18 है0, 69/0.16 है0, किता 5 रकबा 0.55 है0, में से 49/450 हिस्सा यानि 0.0598 है0, वाके ग्राम फेजपुर तहसील किशनगढबास आराजी पालोबाई पुत्री दलीपसिंह पत्नि हरचन्द सिंह जाति रायसिख निवासी फेजपुर हाल मुबारिकपुर तहसील रामगढ, मन्नीकौर पुत्री दलीपसिंह पत्नि सोनासिंह जाति रायसिंख निवासी हाल आबाद अलापुर जिला खैरथल–तिजारा, सुन्दरोबाई पुत्री दलीपसिंह पत्नि कश्मीरसिंह जाति रायसिख निवासी फेजापुर हाल आबाद उदैपुर खिजूरीवास तहसील टपूकडा, की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी थी, पालोबाई, मन्नीकौर, सुन्दरोबाई ने आराजी जरिये रजि0 बयनामा अपीलान्ट को बाजाप्ता प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान की गयी बयनामा दिनाक 28.11.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 617 में पृष्ठ संख्या 12 क्रंम संख्या 20240335910102123 पर पंजिबद्व किया गया। बयनामा का अमल राजस्व रिकार्ड में कराने हेतु बयनामा पटवारी हल्का बोलनी को दिया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 335 दिनाक 08.01.2025 दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत ने नामान्तरण को बेंजा रूप से यह लिखते हुऐ कि Mutabik Patwari Report And Decoument Mismatch Name Of Cast So Mutaiton Is Not Acceptable निरस्त/ खारिज कर दिया गया। जबकि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की जाति अहीर (यादव) दर्ज कर दिया जो दोनो एक ही है, लेकिन बिला किसी उचित कारण के तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण खारिज किया गया है। मात्र जाति व उपजाति के एक साथ पटवारी हल्का द्वारा लिखने के कारण खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, की अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बयनामा की पुनः विधिसम्मत जॉच कर पुनः निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.02.2025 नामान्तकरण संख्या 335 वाके ग्राम फैजापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (रा0)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)